

## भारत में बीमा उद्योग से संबंधित वित्त मंत्री के प्रस्तावों पर संक्षिप्त नोट

वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रस्तावों में बीमा उद्योगों से संबंधित तीन महत्वपूर्ण घोषणायें की –

1. सरकार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करेगी और बीमा में कुछ सुरक्षात्मक प्रावधानों के साथ विदेशी स्वामित्व हेतु अनुमति प्रदान करेगी।
2. सरकार की योजना है कि वह दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ एक सामान्य बीमा कंपनी का भी निजीकरण करेगी।
3. सरकार इसी वित्तीय वर्ष में एलआईसी आईपीओं लाने वाली है। इस हेतु वित्त विधेयक में एलआईसी एक्ट में आवश्यक संशोधनों का समावेश किया गया है।  
ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन उपरोक्त सभी प्रस्तावों का विरोध करती है क्योंकि ये बीमा उद्योग के हित में नहीं हैं। हम इन प्रस्तावों के विरोध में संक्षिप्त में निम्नलिखित कारण दे रहे हैं—

**एफडीआई की सीमा में बढ़ोत्तरी की कोई आवश्यकता नहीं है।**

बीमा क्षेत्र निजी कंपनियों के लिये आईआरडीए एक्ट 1999 के माध्यम से खोला गया था , प्रारंभिक तौर पर निजी बीमा कंपनियों के लिये 26 प्रतिशत विदेशी हिस्सेदारी हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। तदुपरांत , 2015 में विदेशी हिस्सेदारी 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी गई। सरकार ने अब विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी है और बीमा कंपनी में विदेशी स्वामित्व हेतु अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

एफडीआई में वृद्धि के लिये तर्क दिया गया है कि बीमा का व्यवसाय पूंजी प्रधान व्यवसाय है। बीमा व्यवसाय के विकास और विस्तार के लिये काफी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। यह सही नहीं है। सभी बड़े नैगम घराने बीमा व्यवसाय में प्रवेश कर चुके हैं और पूंजी कभी भी उनके लिये कोई मुद्दा नहीं रहा है। इन तमाम व्यवसायिक घरानों में से अधिकांश अपनी हितों के विस्तारण के लिये बाहर के देशों में बड़े निवेश कर रहे हैं। अतः , यह मानना संभव नहीं है कि विस्तार के लिये उनके पास साधन की कमी है। उनमें से कुछ सूचीबद्ध हैं और भारत में पूंजी बाजार से पूंजी जुटाने में सक्षम हैं।

दूसरा तर्क है कि भारत में बीमा की पहुंच(भेदन) बहुत कम है। पहुंच(भेदन) का अर्थ है कि सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में बीमा प्रीमियम का संग्रह । ऐसे देश में जहां प्रति व्यक्ति आय अत्यंत कम है और लोगों के पास जमा करने के लिये पर्याप्त स्रोत नहीं है , इस दृष्टि से बीमा बाजार को देखना सही नहीं है। यह अनुमानित है कि लगभग 40 करोड़ भारतीयों का व्यक्तिगत बीमा और समूह बीमा के माध्यम से बीमा हुआ है। यह अनुमानित है कि भारत में बीमा योग्य (जिनका बीमा हो सकता है) लोगों की संख्या लगभग 60 करोड़ है। इसलिये जिन लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदत्त है उनकी संख्या उल्लेखनीय है। यह संख्या उनकी आय और बचत का स्तर बढ़ने पर बढ़ सकती है।

सामान्य बीमा व्यवसाय में वृद्धि भारत में पूरे विश्व की तुलना में सबसे अधिक है। यह वृद्धि और अधिक बढ़ सकती है यदि संपत्तिधारी पारिवारिक इकाईयों की संख्या बढ़ती है। 18 प्रतिशत जीएसटी के कारण जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के व्यवसाय की संभावना सीमित हो जाती है।

बीमा ,विशेषकर जीवन बीमा लोगों की छोटी-छोटी बचतों को इकट्ठा करकर उसे पूंजी में बदलती है जिसका निवेश सामाजिक और अधोसंरचनात्मक प्रोजेक्ट्स में होता है। इसलिये यह समझदारी की बात नहीं होगी कि घरेलू बचतों पर विदेशी पूंजी को और अधिक पहुंच के लिये अनुमति प्रदान की जाये। इस लिये यह महत्वपूर्ण होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था होने के नाते , घरेलू बचतों पर राज्य का अधिक नियंत्रण हो।

विदेशी पूंजी का घरेलू बचत पर अधिक नियंत्रण हेतु अनुमति देना देश के लिये घातक होगा। ऐसे देश में जहां पूंजी की कमी हो, यह नासमझी होगी कि विदेशी पूंजी का घरेलू बचत पर नियंत्रण हो। वैश्विक अनुभव ने साबित किया है कि विदेशी पूंजी कभी भी घरेलू बचतों से जनित पूंजी का विकल्प नहीं हो सकता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि निजी बीमा उद्योग में कुल विदेशी पूंजी के निवेश का हिस्सा वर्तमान की 49 प्रतिशत की सीमा से काफी कम है । असाईआरडीए की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार , 31 मार्च 2019 को , जीवन बीमा में कुल विदेशी पूंजी 9764.20 करोड़ रु. और सामान्य बीमा में यह 4045.63 करोड़ रु. था। अतः जीवन और सामान्य बीमा में कुल निवेश में विदेशी पूंजी का हिस्सा 35.36 प्रतिशत और 23.66 प्रतिशत था जो कि वर्तमान की सीमा 49 प्रतिशत से काफी कम है। इस लिये बीमा उद्योग में एफडीआई की सीमा में 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का कोई औचित्य नहीं है।

एफडीआई में वृद्धि और बीमा में विदेशी स्वामित्व की अनुमति देने संबंधी निर्णय से भारत के लोगों की बहुमूल्य बचत विदेशी हाथों में चली जायेगी।

### **एलआईसी आईपीओ का कोई औचित्य नहीं है।**

एलआईसी का गठन एक संसद में पारित अधिनियम के जरिये हुआ है। पालिसीधारकों को अत्यधिक सुरक्षा देते हुए प्रीमियम के रूप में छोटी बचतों को इकट्ठा करके देश के तेजी से औद्योगिकीकरण के लिये संसाधन जुटाने का काम किया गया था। एलआईसी ने अत्यंत सफलतापूर्वक इस उद्देश्य को पूरा किया था। विनिवेशीकरण एलआईसी के निजीकरण के लिये पहला कदम होगा। इसलिये एलआईसी आईपीओ इसके निर्माण की स्थापित उद्देश्य की अवहेलना करता है।

सरकार ने अपनी एक पोजीशन ले ली है कि " स्टॉक एक्सचेंजों पर कंपनी को सूचीबद्ध करने से उसे अनुशासनबद्ध करती है और वित्तीय बाजारों तक पहुंच बनाती है और इसके मूल्य को अनलॉक करती है। यह रिटेल निवेशकों के लिये एक अवसर है कि वे निर्मित संपदा में हिस्सेदारी करें।" शेयर बाजार में एलआईसी को सूचीबद्ध करने और उसके आईपीओ का जारी करने के लिये दिये गये तर्क खोखले हैं।

एलआईसी एक पारदर्शी और कुशल बोर्ड प्रबंधित संस्था है। यह हर तिमाही में सार्वजनिक प्रकटीकरण के साथ सामने आता है। यह हर महीने अपने कामकाज की रिपोर्ट को रेग्यूलटर आईआरडीए को सौंप देता है। यह संसद में अपने खातों को जांच के लिये रखता है। यदि यह पारदर्शी कामकाज नहीं है तो और क्या है?

यह तर्क कि सूचीबद्ध होने से एलआईसी की पहुंच बाजार की फंडों तक हो जायेगी , हास्यास्पद है। एलआईसी भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी निवेशक है। एलआईसी प्रति वर्ष 3.5 सं 4 लाख करोड़ के आसपास निवेश योग्य फंड निर्मित करता है और इसलिये एलआईसी को बाजार की फंडों तक पहुंच बनाने की आवश्यकता नहीं है। 31 मार्च 2019 तक निगम

का कुल निवेश 29,84,331.25 करोड़ रुपये था। एलआईसी ने 31 मार्च 2019 तक सामाजिक और सरकारी क्षेत्र में कुल निवेश 21,40,106 करोड़ रुपये का किया था। यह आश्चर्यजनक है कि एलआईसी ने सरकारी ऋण की 25 प्रतिशत फंडिंग की। पूरी दुनिया में किसी देश की ऐसी कोई भी एक संस्था नहीं है जो सरकार की ऋण की फंडिंग में इतनी अधिक राशि का प्रबंध करती है। एलआईसी की 440 बिलियन डालर के मूल्य की परिसंपत्तियां संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची के देशों में से 75 प्रतिशत देशों की जीडीपी से अधिक हैं। कमाये गये राजस्व के आधार पर यह सबसे बड़ी 500 फार्चून कंपनियों में स्थान पा सकती है। इसलिये एलआईसी के लिये धन की कोई कमी नहीं है।

यह सामान्य ज्ञान है कि स्टॉक मार्केट में खुदरा निवेशकों के रूप में कुल प्रतिभागियों का लगभग 3 प्रतिशत हिस्सा है। यह कहना कि खुदरा निवेशकों के लिये मूल्यवर्धन में वृद्धि करेगा, सत्य से परे होगा। यह अमीरों, विदेशी पूंजी और घरेलू संस्थागत निवेशकों के लिये मूल्य और लाभ बढ़ायेगा। इसका सीधा सा मतलब है –अमीरों के मूल्य संवर्धन के लिये एक बेहतरीन वित्तीय संस्थान को सौपना।

यह कहना कि लिस्टिंग पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करेगी, का अर्थ है कि एलआईसी में इस दिशा में कहीं कोई कमी है, जो फिर से सच नहीं है। एलआईसी ने अपने पालिसीधारकों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की है। पालिसीधारकों के फंड की कुल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, बोनस के रूप में सबसे अच्छा रिटर्न देने के लिये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। इसने बहुत उच्च सेवामानकों को निर्धारित किया है और इसका दावा निपटान प्रदर्शन वैश्विक बीमा उद्योग में सर्वश्रेष्ठ है। भारत में पूरे बीमा उद्योग में इसकी परिचालन लागत सबसे कम है। इसलिये बेहतर पारदर्शिता, पालिसीधारकों के हितों आदि जैसे तर्क मौजूदा वास्तविकता के सामने पूरी तरह से गिर जाते हैं।

इसलिये, एलआईसी का विनिवेश अर्थव्यवस्था और भारतीय जनता के कमजोर हिस्से को बुरी तरह प्रभावित करेगा। राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य पार्श्व में धुंधले पड़ जायेंगे और एलआईसी को शेयरधारकों के लिये बढ़ते मुनाफे को देने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। निजी कंपनियों की तरह एलआईसी को उन बड़ी पालिसियों को लक्षित करना पड़ेगा जो अधिक लाभ कमाती हैं। अब इस प्रक्रिया में छोटे आकार की पालिसियां जो गरीब, कमजोर और निम्न मध्यम वर्ग के लोग खरीदते थे, आकर्षक नहीं रहेंगी। कमजोर वर्गों को बीमा कवर देने के सामाजिक उद्देश्य में एक रूकावट डालेगा। लाभहीन ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा का विस्तार करने के लक्ष्य को भी भुगतना होगा। इसलिये एलआईसी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और भारतीय आबादी के गरीब वर्गों के हितों को नुकसान होगा।

### **सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की आवश्यकता नहीं थी-**

किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की आम बीमा कंपनी का निजीकरण राष्ट्र हित में नहीं है। तीव्र प्रतिस्पर्धा के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों ने बाजार में अपना प्रभुत्व बरकरार रखने के लिये अपनी जमीन मजबूत की है। अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों ने हाल की अवधि में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। यदि अभी इन कंपनियों का कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तो वह व्यवसायिक प्रदर्शन में सुस्ती के कारण नहीं है, बल्कि भविष्य में विनिवेशीकरण के लिये इन कंपनियों को आकर्षक बनाने के लिये उच्च प्रावधान(प्रोविजनिंग) करने के लिये मजबूर होना पड़ा। किसी भी पीएसजीआई कंपनी का निजीकरण करने के बजाय, सरकार को वास्तव में इन कंपनियों का विलय करना चाहिये और उन्हें सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाना चाहिये।